



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 141–2022/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, AUGUST 7, 2022 (SRAVANA 16, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 7th August, 2022

No. 18-HLA of 2022/67/15910.— The Haryana Goods And Services Tax (Amendment) Bill, 2022 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 18-HLA of 2022

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

Short title and commencement.

(2) The provisions of sections 2 to 15 shall come into force from such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint different dates for commencement of different provisions of this Act.

2. In section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act),—

Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

(a) in sub-section (2),—

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;”;

(ii) in clause (c), the words, figures and letter “or section 43A” shall be omitted;

(b) in sub-section (4), for the words and figures “due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the words “thirtieth day of November” shall be substituted.

Amendment of section 29 of Haryana Act 19 of 2017.

3. In sub-section (2) of section 29 of the principal Act,—
- (a) in clause (b), for the words “returns for three consecutive tax periods”, the words “the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return” shall be substituted;
 - (b) in clause (c), for the words “a continuous period of six months”, the words “such continuous tax period as may be prescribed” shall be substituted.

Amendment of section 34 of Haryana Act 19 of 2017.

4. In sub-section (2) of section 34 of the principal Act, for the word “September”, the words “the thirtieth day of November” shall be substituted.

Amendment of section 37 of Haryana Act 19 of 2017.

5. In section 37 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (1),—
 - (i) after the words “shall furnish, electronically,”, the words “subject to such conditions and restrictions and” shall be inserted;
 - (ii) for the words “shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed”, the words “shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies” shall be substituted;
 - (iii) the first proviso shall be omitted;
 - (iv) in the second proviso, for the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be substituted;
 - (v) in the third proviso, for the words “Provided also that”, the words “Provided further that” shall be substituted;
 - (b) sub-section (2) shall be omitted;
 - (c) in sub-section (3),—
 - (i) the words and figures “and which have remained unmatched under section 42 or section 43” shall be omitted;
 - (ii) in the proviso, for the words and figures “furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the words “the thirtieth day of November” shall be substituted;
 - (d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.”.

Substitution of section 38 of Haryana Act 19 of 2017.

6. For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
- “38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.— (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.
- (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—
- (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

- (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—
- (i) by any registered person within such period of taking registration may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
 - (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
 - (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
 - (vi) by such other class of persons as may be prescribed.”.

7. In section 39 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (5), for the word “twenty”, the word “thirteen” shall be substituted;
- (b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,-

- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.”;
- (c) in sub-section (9),-
 - (i) for the words and figures “Subject to the provisions of sections 37 and 38, if”, the word “Where” shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, for the words “the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter”, the words “the thirtieth day of November” shall be substituted;
- (d) in sub-section (10), for the words “has not been furnished by him”, the following shall be substituted, namely:-

“or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.”.

Amendment of section 39 of Haryana Act 19 of 2017.

Substitution of section 41 of Haryana Act 19 of 2017.

8. For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“41. Availment of input tax credit.- (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.”.

Omission of sections 42, 43 and 43A of Haryana Act 19 of 2017.

9. Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 47 of Haryana Act 19 of 2017.

10. In sub-section (1) of section 47 of the principal Act,—

- (a) the words “or inward” shall be omitted;
- (b) the words and figures “or section 38” shall be omitted;
- (c) after the words and figures “section 39 or section 45”, the words and figures “or section 52” shall be inserted.

Amendment of section 48 of Haryana Act 19 of 2017.

11. In sub-section (2) of section 48 of the principal Act, the words and figures “, the details of inward supplies under section 38” shall be omitted.

Amendment of section 49 of Haryana Act 19 of 2017.

12. In section 49 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (2), the words, figures and letter “or section 43A” shall be omitted;
- (b) in sub-section (4), after the words “subject to such conditions”, the words “and restrictions” shall be inserted;
- (c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.”.

Amendment of section 50 of Haryana Act 19 of 2017.

13. For sub-section (3) of section 50 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.”.

Amendment of section 52 of Haryana Act 19 of 2017.

14. In sub-section (6) of section 52 of the principal Act, in the proviso, for the words “due date for furnishing of statement for the month of September”, the words “thirtieth day of November” shall be substituted.

Amendment of section 54 of Haryana Act 19 of 2017.

15. In section 54 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures “the return furnished under section 39 in such”, the words “such form and” shall be substituted;

- (b) in sub-section (2), for the words “six months”, the words “two years” shall be substituted;
- (c) in sub-section (10), the words, brackets and figure “under sub-section (3)” shall be omitted;
- (d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
- “(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;”.

16. (1) The Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 20/ST-2, dated the 25th January, 2018 issued by the State Government on the recommendations of the Council, under section 146 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified under column (2) of the Fourth Schedule, on and from the date specified under column (3) of that Schedule.

Amendment of notification issued under section 146 of Haryana Act 19 of 2017 retrospectively.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

17. (1) The Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 45/ST-2, dated the 30th June, 2017 issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified under column (2) of the Fifth Schedule, on and from the date specified under column (3) of that Schedule.

Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of Haryana Act 19 of 2017 retrospectively.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

18. (1) Notwithstanding anything contained in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017 issued by the Haryana Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

Retrospective exemption from, or levy or collection of State Tax in certain cases.

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 92/GST-2, dated the 1st October, 2019 issued by the Haryana Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of Haryana Act 19 of 2017.

(2) No refund shall be made of all such state tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

THE FOURTH SCHEDULE

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 20/ST-2, dated the 25th January, 2018	In the said notification, in paragraph 1, for the words “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax”, the following shall be substituted, namely:- “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 107/GST-2, dated the 31st December, 2019, all functions provided under the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.”.	22nd June, 2017.

THE FIFTH SCHEDULE

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 45/ST-2, dated the 30th June, 2017	In the said notification, in the Table, against serial number 2, under column (3), for the figures “24”, the figures “18” shall be substituted.	1st July, 2017.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2022 (Central Act 6 of 2022). The amendments are being carried out on the basis of recommendations made by the GST Council and since the GST Law is implemented uniformly both by the Centre as well as the States, it is proposed to amend the HGST Act, 2017 in line with the amendments already carried out by the Finance Act, 2022.

3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022, *inter alia*, provides for the following, namely:—

- (i) to amend section 16 of the Act by inserting a new clause (ba) in sub-section (2) thereof, so as to provide that input tax credit with respect to a supply may be availed only when such credit has not been restricted in the details communicated to the registered person under section 38;
 - (ii) to amend sub-section (4) of section 16 so as to provide that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note after the thirtieth day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;
 - (iii) to amend clause (b) of sub-section (2) of section 29 of the Act so as to provide that the registration of a person paying tax under section 10 is liable to be cancelled if the return for a financial year has not been furnished beyond three months from the due date of furnishing of the said return;
 - (iv) to omit sub-section (2) and first proviso to sub-section (1) of section 37 so as to do away with two-way communication process in return filing;
 - (v) to amend sub-section (4) of section 49 of the Act so as to provide for prescribing restrictions for utilizing the amount available in the electronic credit ledger;
 - (vi) to insert sub-section (12) in section 49 so as to provide for prescribing the maximum proportion of output tax liability which may be discharged through the electronic credit ledger;
 - (vii) to substitute a new sub-section for sub-section (3) of section 50 of the Act, retrospectively, with effect from the 1st July, 2017, so as to provide for levy of interest on input tax credit wrongly availed and utilised, and to provide for prescribing manner of calculation of interest in such cases.
4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 7th August, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 18—एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017,
को आगे संशोधित करने के लिए,
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) धारा 2 से 15 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत कर सकती है।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 में,—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त प्रदाय के संबंध में संसूचित इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बन्धित नहीं किए गए हैं;”;

(ii) खंड (ग) में, “या धारा 43क” शब्दों, अंकों तथा अक्षर का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में, “सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तिथि” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “नवम्बर के तीसवें दिन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में,—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 29 का संशोधन।

(क) खंड (ख) में, “तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी” शब्दों के स्थान पर, “उक्त विवरणी देने की देय तिथि से तीन मास के बाद वित्तीय वर्ष तक विवरणी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में, “लगातार छह मास की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी लगातार कर अवधि, जो विहित की जाए”, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, “सितम्बर मास” शब्द के स्थान पर, “नवम्बर के तीसवें दिन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 34 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 37 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) “इलेक्ट्रॉनिक रूप में”, शब्दों से पूर्व “ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यक्षीन तथा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में” शब्दों के स्थान पर, “उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यक्षीन, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) प्रथम परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा;

(iv) द्वितीय परन्तुक में, “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परन्तु” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ख) उप-धारा (2) का लोप कर दिया जाएगा;
- (ग) उपधारा (3) में,—
- (i) "और जो धारा 42 तथा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) परन्तु में "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" शब्दों के स्थान पर, "नवम्बर के तीसवें दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (घ) उपधारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु अनुमत नहीं किया जाएगा, यदि किन्हीं पूर्व कर अवधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को अनुमत कर सकती है, तथापि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों।"

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 38 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- "38. आवक प्रदायों तथा इनपुट कर प्रदाय के ब्यौरों की संसूचना.— (1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों तथा ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे, तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन ऐसे प्रदायों के प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण में निम्नलिखित शामिल होगा—

- (क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; तथा
- (ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा, धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के कारण, चाहे पूर्णतः या भागतः निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,—
- (i) रजिस्ट्रीकरण लेने के लिए ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा; या
- (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के भुगतान में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए जारी रहा है ; या
- (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के दौरान उक्त उप-धारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के विवरण के अनुसार भुगतानयोग्य आऊटपुट कर, ऐसी सीमा, जो विहित की जाए, तक उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा भुगतान किए गए आऊटपुट कर से अधिक है ; या
- (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के दौरान उस राशि के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो ऐसी सीमा, जो विहित की जाए, तक खण्ड (क) के अनुसार उसके द्वारा लाभ उठाया जा सकता है, से अधिक है;
- (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन धारा 49 की उप-धारा (12) के उपबन्धों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
- (vi) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।"

7. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

- (क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) उपधारा (7) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप तथा रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को निम्नलिखित का भुगतान करेगा,—

- (क) माल या सेवाओं या दोनों के आवक तथा जावक प्रदायों, लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, भुगतानयोग्य कर तथा मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर राशि; या
- (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट राशि के बदले में, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन अवधारित राशि।";
- (ग) उप-धारा 9 में,—
- (i) "धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन यदि" शब्दों के स्थान पर, "जहां" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) परन्तुक में, "सितम्बर मास के लिए या आगामी दूसरी तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि के" शब्दों के स्थान पर, "नवम्बर के तीसवें दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (घ) उपधारा (10) में, "नहीं दी गई" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अधीन, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को अनुमत कर सकती है, तथापि, उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"

8. मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करना.— (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन अपनी विवरणी में, यथा स्व-निर्धारित, पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा की जाएगी।

(2) मालों या सेवाओं या दोनों, जिन पर भुगतान कर प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, के ऐसे प्रदायों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर का प्रत्यय, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उक्त व्यक्ति द्वारा लागू ब्याज सहित विपर्यस्त किया जाएगा:

परन्तु जहां उक्त प्रदायकर्ता उपर्युक्त प्रदायों के संबंध में भुगतानयोग्य कर का भुगतान करता है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उसके द्वारा विपर्यस्त किए गए प्रत्यय की राशि का पुनः उपभोग कर सकता है।"

9. मूल अधिनियम की धारा 42, 43 तथा 43क का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 41 का प्रतिस्थापन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 42, 43 तथा 43क का लोप।

10. मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,—

- (क) "या आवक" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) "या धारा 38" शब्दों तथा अंकों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ग) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के बाद, "या धारा 52" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 47 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 48 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, "धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे" शब्दों और अंकों का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 49 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

- (क) उप-धारा (2) में, "या धारा 43क" का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) उप-धारा (4) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के बाद "तथा निर्बन्धनों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) उप-धारा (11) के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(12) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम, 13) के अधीन आऊटपुट कर दायित्व का ऐसा अधिकतम अनुपात, जिसका किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग, जो विहित किए जाएं, द्वारा इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से निर्वहन किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।"

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 50 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग तथा उपयोग किया गया है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, गलत उपभोग तथा उपयोग किए गए ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर चौबीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर, जो परिषद् की सिफारिश पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पर ब्याज का भुगतान करेगा तथा ब्याज ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संगणित किया जाएगा।"

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 52 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (6) में, परन्तुक में, "सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि" शब्दों के स्थान पर, "नवम्बर के तीसरे दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

- (क) उपधारा (1) में, परन्तुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति तथा प्ररूप" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) उपधारा (10) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (घ) व्याख्या में, खण्ड (2) में, उपखण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई, जहां भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय अपने आप ऐसे प्रदायों के संबंध में उपलब्ध है या ऐसे प्रदायों में प्रयुक्त इनपुटस या इनपुट सेवाओं, जैसी भी स्थिति हो, के शून्य दर प्रदाय की दशा में, ऐसे प्रदायों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि।"

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 146 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन।

16. (1) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 20/एसटी-2, दिनांक 25 जनवरी, 2018 संशोधित मानी जाएगी तथा चतुर्थ अनुसूची के खाना (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के खाना (3) के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी तथा संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को सभी तात्विक समयों पर, भूतलक्षी प्रभाव से हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति थी।

17. (1) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) तथा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 संशोधित मानी जाएगी तथा पांचवीं अनुसूची के खाना (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के खाना (3) के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गई समझी जाएगी।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 50 की उपधारा (1) तथा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी तथा संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को सभी तात्विक समयों पर, भूतलक्षी प्रभाव से हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) तथा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति थी।

18. (1) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जुलाई, 2017 के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाली तथा सितम्बर, 2019 के तीसवें दिन को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित हैं) अवधि के दौरान, मत्स्य तेल को छोड़कर, मत्स्य आहार (2301 शीर्ष के अधीन आने वाला) के उत्पादन के दौरान उत्पन्न अनआशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में कोई भी राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट।

(2) ऐसे सभी करों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु जिन्हें इस प्रकार संगृहीत नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर लागू होती।

19. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 92/जीएसटी-2, दिनांक प्रथम अक्टूबर, 2019, सभी प्रयोजनों के लिए प्रथम जुलाई, 2017 से लागू हुई तथा सदैव लागू हुई समझी जाएगी।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव।

(2) सभी ऐसे राज्य करों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु जिन्हें इस प्रकार संगृहीत नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर लागू होती।

चतुर्थ अनुसूची

अधिसूचना संख्या तथा तिथि	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तिथि
(1)	(2)	(3)
हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 20/एसटी-2, दिनांक 25 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, "विवरणियों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर के संग्रहण और बंदोबस्त" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "विवरणियों को प्रस्तुत करने तथा एकीकृत कर के संग्रहण तथा बन्दोबस्त तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 107/ जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबन्धित सभी कृत्यों।"	22 जून, 2017

पांचवीं अनुसूची

अधिसूचना संख्या तथा तिथि	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तिथि
(1)	(2)	(3)
हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, खाना (3) के नीचे, "24" अंकों के स्थान पर, "18" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	प्रथम जुलाई, 2017

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है। जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर ये संशोधन किए जा रहे हैं और चूंकि जीएसटी कानून केन्द्र सरकार तथा राज्यों द्वारा समान रूप से लागू किया जाता है, इसलिए वित्त अधिनियम, 2022 में पहले से ही हो चुके संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :-

- (i) यह उपबंधित करने के लिए कि किसी प्रदाय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ केवल तभी लिया जा सकेगा जब ऐसे प्रत्यय को धारा 38 के अधीन करदाता को संसूचित ब्यौरो में निर्बंधित नहीं किया गया है के लिए अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में संशोधन करके एक नए खंड (खक) का रखा जाना ;
 - (ii) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे बीजक या नामे नोट संबंधित है के अंत के पश्चात् के 30 नवंबर के बाद या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा के लिए अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में संशोधन किया जाना ;
 - (iii) यह उपबंध करने के लिए कि धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकेगा, यदि विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है के लिए अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) का संशोधन किया जाना ;
 - (iv) विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार से बच सकने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक और उपधारा (2) का लोप किया जाना ;
 - (v) इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध राशि के उपयोग के लिए निर्बंधनों को विहित करने के लिए अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (4) का संशोधन किया जाना ;
 - (vi) आउटपुट कर दायित्व के अधिकतम अनुपात जिसको इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते के माध्यम से निर्मुक्त किया जा सकेगा को विहित करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 49 में उप-धारा (12) का रखा जाना ;
 - (vii) गलत रूप से उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर ब्याज के उदग्रहण का उपबंध करने तथा ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना की रीति विहित करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा को प्रथम जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रतिस्थापित करना।
4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दुष्यंत चौटाला,
उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संवधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 अगस्त, 2022.

आर. के. नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 7 अगस्त, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।